



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
**National Commission for Scheduled Tribes**

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल नं. NCST/ATY-527/MP/2/2022-APCR

दिनांक: 04.08.2023

सेवा में,

(1) जिला कलेक्टर  
जिला खंडवा  
मध्यप्रदेश

(2) पुलिस अधीक्षक,  
जिला खंडवा  
मध्यप्रदेश

**विषय: दिनांक 09 अगस्त से 11 अगस्त, 2023 तक जिला-खंडवा (मध्य प्रदेश) में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के दल के स्थलीय जांच दौरे के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषय मे लेख है कि आयोग के माननीय सदस्य ने दिनांक 15.06.2023 को आयोजित बैठक में आयोग में प्रचलित जिला खंडवा के प्रकरण NCST/ATY-527/MP/2/2022-APCR एवं NCST/ATY-904/MP/132/2023-RO-BH में आयोग के एक जांच दल को मौके पर जाकर तथ्यों का परीक्षण कर अपनी स्थलीय जांच रिपोर्ट आयोग को देने हेतु निर्देशित किया था।

2. तदनुसार, आयोग का एक जांच दल जिसमें (1) श्री अंकित कुमार सेन, अनुसंधान अधिकारी (मोबाइल नं. 9582710157) (2) श्रीमती अमृता सोलंकी, वरिष्ठ अन्वेषक (मोबाइल नं. 9584642101) सम्मिलित हैं, को उक्त दोनों प्रकरणों में दिनांक 9 अगस्त 2023 से 11 अगस्त 2023 तक जांच के लिए संबन्धित स्थानों का दौरा करने हेतु आदेशित किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि जांच दल के अधिकारियों के निर्धारित दौरे की सूचना संबंधित अधिकारियों को प्रेषित करते हुये जांच दल के आवास, परिवहन और भोजन की समुचित व्यवस्था करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर. के. दुबे)

उपनिदेशक

Tel: 011-24657272

Email: [rk.dubey@ncst.nic.in](mailto:rk.dubey@ncst.nic.in)

प्रतिलिपि:

सुश्री दीपिका खन्ना,  
सहायक निदेशक,  
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
क्षेत्रीय कार्यालय - भोपाल,  
मध्य प्रदेश।